कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोड़ा)
दूरभाष संख्या 05966–211126 e.mail : eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 699/19 नि0 दिनांक 7/09/.2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषयः– देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 13914/2015) में लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :– EDS dated 20.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है :–

Sl. No.	Objection	Reply
1	In the village breakup at para-B-2.3 online part-I the name of village are mentioned as Lalnagri and Basanal Goan while the village level ommittee(VLC) proceeding is provided only for the Lalnagri.The state Govt. May also provide VLC proceeding for the village Basanal Goan and upload the same at Para K,online Part –I as annexure of FRA Cetificate.	Part I के Para-K में FRA Certificate के साथ बसनल गांव की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है, एवं Additional document के साथ भी इसे अपलोड कर दिया गया है।
2	In the digital map of the proposed area uploaded at para-C (IV) part-I of online in google earth image and does not serve any useful purpose.May upload GIS software is generated GEO reffernace Digitalmap of the area proposed for diversion providing Geo Coordinate of 200 mtrs-300 mtrs. Along the proposed alignment of the turns. Original hard copy of this may also be providing.	GIS Software generated GEO reffernace Digitalmap of the area proposed for diversion providing Geo Coordinate of 200 mtrs-300 mtrs. में बनाकर Part-I के Para-C (iv) में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है, एवं Additional document के साथ भी इसे अपलोड कर दिया गया है।
3	In para K online part I the FRA certificate issued by DC in not found uploaded with all annexures regarding district level committee proceding sub divisional level committee proceding and village level committee proceding which are uploaded in additional document in online part-I. The state government may upload the FRA certificate with all annexures at Para K online part-I. The date of FRA certificate issued by district collector may be also mentiones.	The date of FRA certificate issued by district collector को mension कर के प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Part I के Para-K में अपलोड कर दिया गया है। Additional document के साथ भी इसे अपलोड कर दिया गया है।

4	All the document available in the hard copy in the proposal as photocopies and not the original document. State government may provided hard copy of the proposal folder containing are original or attested copies of the documents. however the FRA certificate and the GEO reference digital map of proposed road and CA should be in original.	पूर्व में इस कार्यालय द्वारा हार्ड कापी की मूल प्रति आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी थी, जिसे पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 701/19सी दि0 7/9/...2017 द्वारा आपके द्वारा लगाई गई आपत्तियों के साथ आपके कार्यालय में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :— हार्डकापी।.

7/9/2017

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Point NO 2

DeghatTo Lalnagari Motor Road (Under PMGSY)
Distt. Almora (Length 13.650 Km.)

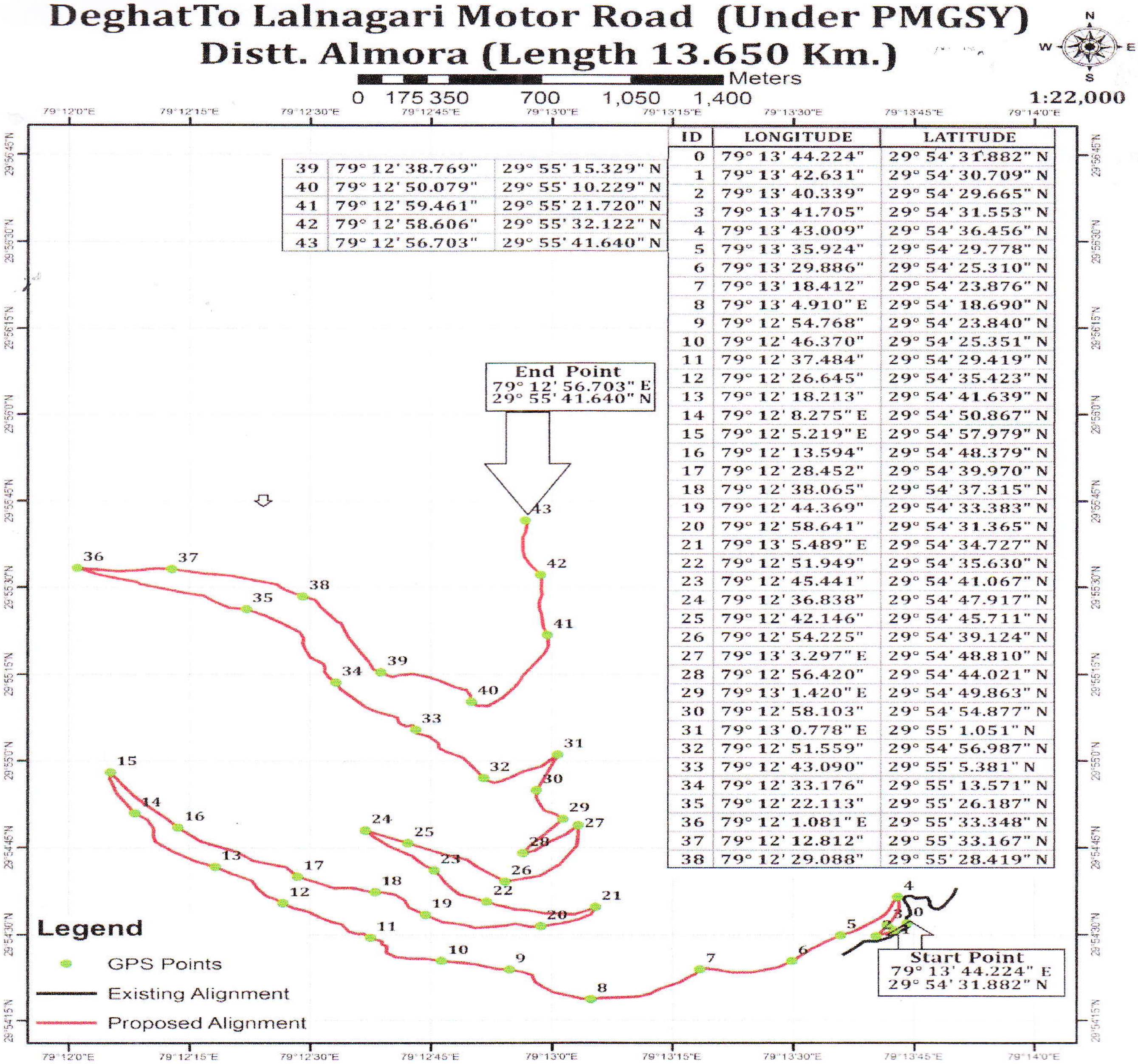

39	79° 12' 38.769"	29° 55' 15.329" N
40	79° 12' 50.079"	29° 55' 10.229" N
41	79° 12' 59.461"	29° 55' 21.720" N
42	79° 12' 58.606"	29° 55' 32.122" N
43	79° 12' 56.703"	29° 55' 41.640" N

ID	LONGITUDE	LATITUDE
0	79° 13' 44.224"	29° 54' 31.882" N
1	79° 13' 42.631"	29° 54' 30.709" N
2	79° 13' 40.339"	29° 54' 29.665" N
3	79° 13' 41.705"	29° 54' 31.553" N
4	79° 13' 43.009"	29° 54' 36.456" N
5	79° 13' 35.924"	29° 54' 29.778" N
6	79° 13' 29.886"	29° 54' 25.310" N
7	79° 13' 18.412"	29° 54' 23.876" N
8	79° 13' 4.910" E	29° 54' 18.690" N
9	79° 12' 54.768"	29° 54' 23.840" N
10	79° 12' 46.370"	29° 54' 25.351" N
11	79° 12' 37.484"	29° 54' 29.419" N
12	79° 12' 26.645"	29° 54' 35.423" N
13	79° 12' 18.213"	29° 54' 41.639" N
14	79° 12' 8.275" E	29° 54' 50.867" N
15	79° 12' 5.219" E	29° 54' 57.979" N
16	79° 12' 13.594"	29° 54' 48.379" N
17	79° 12' 28.452"	29° 54' 39.970" N
18	79° 12' 38.065"	29° 54' 37.315" N
19	79° 12' 44.369"	29° 54' 33.383" N
20	79° 12' 58.641"	29° 54' 31.365" N
21	79° 13' 5.489" E	29° 54' 34.727" N
22	79° 12' 51.949"	29° 54' 35.630" N
23	79° 12' 45.441"	29° 54' 41.067" N
24	79° 12' 36.838"	29° 54' 47.917" N
25	79° 12' 42.146"	29° 54' 45.711" N
26	79° 12' 54.225"	29° 54' 39.124" N
27	79° 13' 3.297" E	29° 54' 48.810" N
28	79° 12' 56.420"	29° 54' 44.021" N
29	79° 13' 1.420" E	29° 54' 49.863" N
30	79° 12' 58.103"	29° 54' 54.877" N
31	79° 13' 0.778" E	29° 55' 1.051" N
32	79° 12' 51.559"	29° 54' 56.987" N
33	79° 12' 43.090"	29° 55' 5.381" N
34	79° 12' 33.176"	29° 55' 13.571" N
35	79° 12' 22.113"	29° 55' 26.187" N
36	79° 12' 1.081" E	29° 55' 33.348" N
37	79° 12' 12.812"	29° 55' 33.167" N
38	79° 12' 29.088"	29° 55' 28.419" N

अमीन

J.E

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी रेंज
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी सल्ट
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

तहसीलदार
जिला अल्मोड़ा

राजस्व उप निरीक्षक
तहसील
जिला-अल्मोड़ा

Point No. 2

De-ghat To Lalnagari Motor Road (Under PMGSY) Distt. Almora (Length 13.650Km.)

Meters

0 395 790 1,580 2,370 3,160

1:15,000

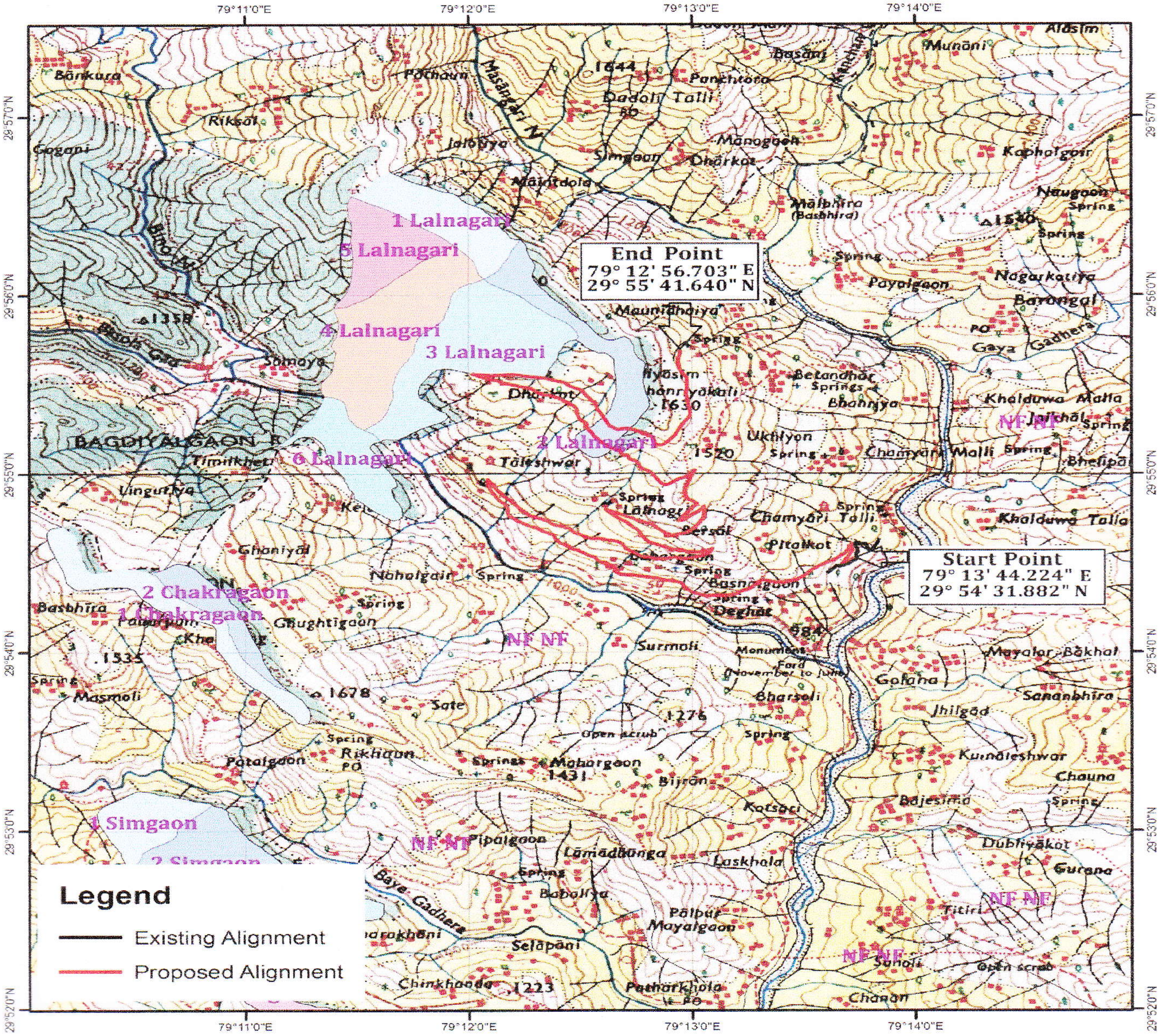

Ravi Lal
J.E.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी रेंज

Jagdish

उपप्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

1.6

प्रारुप–30

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा ... प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - Almora

lo---

Dated---15/4/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter ... 9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence ... ving initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and O... ditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest ... posed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wh... EF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.844 hectares** of forest ... posed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engi... GSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Deghat-Lalnagari M... d** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of Lalnagari villa... **dey** tehsil.

further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under th... has been carried out for the entire **3.844** hectares of forest area proposed for diversion. A co... records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s)... Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as anne... ....to...annexure....

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requ... under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given ... consent to it;

c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Group... Pre-agricultural communities.

Photo copy attested

As above.

उपजिलाधिकारी
[illegible]
(अल्मोड़ा)

जिला अधिकारी Signature
अल्मोड़ा

(Full name and official seal of the District Co...

(16)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT - ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated 15.04.15 at time 3 P.M. at .... in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring **3.844 Hec.** for the Construction of Deghat Lalnagari **Motor Road** (13.65 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Salt** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Almora

Dated:..15/4/15

District Level Committee

15/04/15

Deputy Commissioner-cum-Chairman

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा

Photo copy attested

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

(अल्मोड़ा)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– लालनगरी तहसील स्याल्दे

जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 है0 भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में लालनगरी में दिनांक 08-01-2011 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधान के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि का कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी/गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्माण किया गया है/प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम लालनगरी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने का कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत बौहरागाँव
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

सरपंच
लठ्ठ वन पंचायत लालनगरी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रधान

सरपंच चन्दन राम
लठ्ठ वन पंचायत लालनगरी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत लालनगरी
नन्दी देवी
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

H:\CERTIFICATE\Deghat-lalnagari.doc

Photo copy attested

प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत लालनगरी को संयोजित करने हेतु प्रस्तावित समरेखन की संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी।

प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत लालनगरी को संयोजित करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखन का दिनांक 5/1/15 .... को संयुक्त निरीक्षण किया गया। सयुक्त निरीक्षण में अधोहस्ताक्षरी के साथ निम्न अधिकारी / कर्मचारी / जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्री नारायण सिंह नबियाल उपजिलाधिकारी स्याल्दे।
2. श्री [illegible] तहसीलदार स्याल्दे।
3. श्री [illegible] राजस्व निरीक्षक।
4. श्री आर0पी0 पाण्डेय सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट।
5. श्री नवीन चन्द्र टम्टा अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट।
6. श्री मती नन्दी देवी ग्राम प्रधान

उक्त उपस्थित अधिकारियों / विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों एवं ग्रामीणों के साथ ग्राम लालनगरी को संयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। विभाग द्वारा इस स्थल के अतिरिक्त अन्य समरेखन तकनीकी एवं व्यवहारिक रुप से अनुपयुक्त होना कहा गया। निरीक्षण स्थल पर लगभग 13.. काश्तकारों की कुल लगभग 0.876 है0 भूमि श्रेणी 1 (क) संक्रमणी अधिकार की आ रही है। काश्तकारों से जानकारी लेने पर .. काश्तकारों व उनके परिवार द्वारा अपनी उक्त भूमि सडक निर्माण हेतु विभाग को देने की सहमति प्रदान की है। इस समरेखन के अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत लालनगरी गांव को लाभ मिलेगा। संयुक्त टीम द्वारा यह समरेखन उपयुक्त पाया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट
स्याल्दे

कार्यालय उप मजिस्ट्रेट स्याल्दे

पत्र संख्या / दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिला मजिस्ट्रेट
स्याल्दे

Photo copy attested

D:\Forest\ONLINE FOREST PROPOSAL\Deghat-Lalnagari MR\MUCK DISPOSAL PLAN doc

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री गाम सडक योजना के अन्तर्गत देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी स्याल्दे

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत **3.844 है0** वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील स्याल्दे को दिनांक 08/1/15 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण '–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ......नारायण सिंह नबियाल... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री नारायण सिंह नबियाल	उपजिलाधिकारी स्याल्दे। उप जिलाधिकारी स्याल्दे जनपद –अल्मोडा
2. श्री बी० के० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।
3. श्री दलीप सिंह बिष्ट	सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्याल्दे।
4. श्री –चन्दनराम	बी0सी0सी0 क्षेत्र लालनगरी सदस्य। चन्दनराम

डपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद

अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 3.844 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध मे ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **3.844** है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Photo copy attested

उप जिलाधिकारी स्याल्दे
स्याल्दे
जनपद–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

अनापत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] मोटर मार्ग ग्राम [illegible] के मध्य से बनना है [illegible] ग्राम सभा [illegible] को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

[illegible]

Photocopy attested

[illegible]

सहायक अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो०नि०वि०
[illegible] (अल्मोड़ा)